(b) whether all the passenger and express trains have a stoppage at Aralvionoly, if not, the reasons for non-stoppage of the said trains; and

(c) number of respresentations sent to Southern Railways General Managers, Divisional Railway Managers at Chennai and Thiruvananthapuram; and the reasons for the delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) No, Sir.

(b) and (c) At present, one pair of express and three pairs of passenger trains are scheduled to stop at Aralvoymoli. Stoppage of 6339/6340 Nagercoil-Mumbai Express at Aralvoymoli is not commercially justified. Information regarding the number of representations received in the Offices of General Manager, Southern Railway, Divisional Railway Managers, Madras and Trivandrum is not readily available.

बेतवा नदी में प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार कारखाने

2990. **श्री राघवजी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बेतवा नदी के प्रदूषण के संबंध में जांच करने हेतु गठित की गई विशेषज्ञ समिति द्वारा इस नदी में अधिकतम प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार पाये गये कारखानों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन कारखानों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ऐसे काखाने अभी भी कार्यरत हैं; यदि हां, तो इन्हें बन्द करने अथवा इन्हें प्रदूषण रहित बनाने हेतु निर्देश जारी न किये जाने के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) मंडीदीप और विदिशा में बेतवा नदी के कैचमेंट क्षेत्र में स्थित फैक्टरियों की सूची विवरण में दी गई है **(नीचे देखिए)** बेतवा नदी के प्रदूषण निवारण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार इन उद्योगों में से किसी उद्योग द्वारा नदी में सीधे निस्तारण नहीं किया जाता है। सूचना मिली है कि इन उद्योगों से उत्पन्न होने वाले उपचारित एवं अनुपचारित सीवेज का कृषि के लिए उपयोग किया किया जाता है तथा केवल कृषि क्षेत्रों के रन-आफ मानसून के दौरान प्रारम्भिक वर्षा के जल के साथ नदी में पहुंचता है।

(ख) और (ग) इन इकाइयों के विरुद्ध वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निस्तारण की निगरानी के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मैसर्स सोम डिस्टिलरी, सेहतगंज तथा बद्रिस पेपर, मंडीदीप के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

मध्य प्रदेश के मण्डीदीप एवं विदिशा में उद्योगों की सूची

1. मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र
   - (क) मैसर्स बद्रिस पेपर
   - (ख) मैसर्स सी०जे० जेलाटिन
   - (ग) मैसर्स प्रोग्रेसिव एक्सट्रैक्शन
   - (घ) मैसर्स एरेल
   - (ङ) मैसर्स स्टैण्डर्ड सरफैक्टैंट
   - (च) मैसर्स ल्यूपिन लैब
   - (छ) मैसर्स गोदरेज फूड
2. विदिशा औद्योगिक क्षेत्र
   - (क) मैसर्स शिव शक्ति पेपर मिल
   - (ख) मैसर्स एम०पी० पेपर एंड बोर्ड मिल
   - (ग) मैसर्स सोम ब्रेवरीज लिमिटेड
   - (घ) मैसर्स सोम डिस्टिलरीज लिमिटेड

Constitution of a Recuitment Board for Navodaya Vidyalayas

2991. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Recruitment Board has recently been constituted for Navodaya Vidyalayas;

(b) if so, the date and level at which the decision was arrived at; and

(c) the details of its composition and its functions, jurisdiction and legal status?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RE-